प्रेसनोट – 07.09.2026

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व ताश के 52 पत्ते व मु0-2200/- रूपया बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 06.09.2026 को समय 20.30 बजे अस्तुपुरा मुहल्ले के मैदान से मु0अ0सं0- 130/26 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमशः 1. प्रदुम्न सोनकर पुत्र राजेन्द्र सोनकर निवासी मुहल्ला अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, 2. रामसूरत पुत्र स्व0 जगदीश प्रजापति निवासी मुहल्ला अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, 3. दीपक पुत्र शेखन राजभर निवासी मुहल्ला अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, व 4. सोनू कुमार पुत्र शंकर राजभर निवासी मुहल्ला अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1.मु0अ0सं0- 130/26 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. प्रदुम्न सोनकर पुत्र राजेन्द्र सोनकर निवासी मुहल्ला अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
2. रामसूरत पुत्र स्व0 जगदीश प्रजापति निवासी मुहल्ला अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
3. दीपक पुत्र शेखन राजभर निवासी मुहल्ला अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
4. सोनू कुमार पुत्र शंकर राजभर निवासी मुहल्ला अस्तुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1.दिनांक- 06.09.2026 समय 20.30 बजे

2.स्थान- अस्तुपुरा मुहल्ले के मैदान से ।

बरामदगी का विवरण

1. ताश के 52 पत्ते

2.जुआ का मु0- 2200 रूपया बरामद।

#ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या व जानलेवा हमला करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 13 – 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ० प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मु0अ0सं0- 704/2020 धारा- 302, 308, 504 भादवि थाना मधुबन जनपद मऊ की साक्ष्यपरक

विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 07.09.2026 को मा0 न्यायालय एएसजे द्वितीय, जनपद मऊ द्वारा हत्या व जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्तगण 1.आनंद सिंह पुत्र गोपाल सिंह, 2. आशीर्वाद सिंह उर्फ अंकित सिंह पुत्र आनंद सिंह निवासीगण ग्राम भैरोपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को आजीवन कारावास की सजा का दंड व प्रत्येक को 13 – 13 हजार रूपए का अर्थदंड से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 07.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 32 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1410 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 651 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 06 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।